न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
122/प्रा0प0/2024	13.07.2020	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर०ए०एस0

(1) कानसिंह आत्मज सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी गुढ़ानाथावतान् तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

(2) रसपाल सिंह आत्मज मक्खन सिंह जाति जट सिख निवासी ग्राम हाथीखेड़ा, गुढ़ानाथावतान तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

(3) करमजीत कौर पत्नी रसपाल सिंह जाति जट सिख निवासी ग्राम हाथीखेड़ा गुढ़ानाथावतान तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीगण

—बनाम—

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र—इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा—136 राज0 भू—राजस्व अधि0, 1956

निर्णय

दिनांक—28.10.2024

उपस्थित— प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री नगेन्द्र सिंह हाड़ा।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि खाता संख्या नया 11 पुराना 10 की खसरा संख्या 501/499 रकबा 0.4230 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं जिसके खातेदार कान सिंह आत्मज सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी गुढानाथावतान तहसील एवं जिला बून्दी (राज०) हैं। खाता संख्या नया 155 पुराना 11 की खसरा संख्या 500/499 रकबा 0.7690 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं जिसके खातेदार रसपाल सिंह आत्मज मक्खन सिंह जाति जट सिख निवासी ग्राम हाथी खेड़ा, गुढानाथावतान तहसील एवं जिला बून्दी (राज०) हैं। खाता संख्या नया 154 पुराना 11 की खसरा संख्या 498/208 रकबा 0.7690 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का गुढानाथावतान तहसील व जिला बून्दी में स्थित हैं जिसके करमजीत कौर पत्नी रसपाल सिंह जाति जट सिख निवासी ग्राम हाथी खेड़ा, गुढानाथावतान तहसील एंव जिला बून्दी (राज०) हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2076 से स्थाई प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले

आ रहें हैं और राज्य सरकार को नियमानुसार लगान, पिलाई जमा करवाते चले आ रहें हैं। राजस्व रिकार्ड के नक्शे में खाता संख्या 11 पुराना 10 की खसरा संख्या 501/499 रकबा 0.4230 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 155 पुराना 11 की खसरा संख्या 500/499 रकबा 0.7690 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 154 पुराना 11 की खसरा संख्या 498/208 रकबा 0.7690 हैक्टेयर में राजस्व अधिकारीयों द्वारा उक्त कृषि भूमि के राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर खसरा संख्या 186 एवं 353 के नजदीक रास्ते को बन्द करते हुए तरमीम कर दी यानि दक्षिण दिशा के सहारे–सहारे पूरब से पश्चिम दिशा में तरमीम कर दी जबकि सही तरमीम पश्चिम दिशा के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर होने चाहिए थी क्योंकि पुराने नक्शे में सही तरमीम हो रही हैं जिसे राजस्व रिकार्ड में पुराने नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण नक्शे की तरमीम को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। राजस्व रिकार्ड के नक्शे में प्रार्थीगण के खाते की भूमि के उक्त खसरा संख्या के नक्शे की तरमीम का गलत इन्द्राज होने से प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा हो रहा हैं जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही हैं इसी लिए प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड के नक्शे में तरमीम का पुराने नक्शे के अनुसार इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। इत्यादि अंकित कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम शाहपुरा का राजस्व रिकार्ड के नक्शे में पुराने नक्शे के अनुसार तरमीम कर इन्द्राज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड के नक्शे को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जावें एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के पक्ष में सुलभ हो प्रार्थीगण को दिलवाई जावें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार, बून्दी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय रेकार्ड तलब की गई। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 4306/2024 दिनांक 27.09.2024 से अवगत कराया हैं कि वर्तमान ग्राम शाहपुरा के खाता संख्या 11 के खसरा संख्या 501/499 रकबा 0.4230 है० खातेदार कानसिंह पुत्र सज्जनसिंह हिस्सा पूर्ण दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में उक्त खसरा मूल नम्बर 208 रकबा 1.9610 है0 था। जिसमें रजि० विक्रय पत्र क्रमांक 202103167101725 दिनांक 13.07.2021 में से कुल रकबा 1.9610 हैक्ट० में से 0.7690 हैक्ट भूमि करमजीत कौर पत्नि रसपाल सिंह जाति जट सिख सा. मांगली को विक्रय किया गया। जिसका नामा0 संख्या 605 दिनांक 11.11.2021 से क्रेता के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ है। जिसका नवीन खाता संख्या 154 खसरा संख्या 498/208 दर्ज रिकार्ड है। विक्रय पत्र में अंकित दक्षिण दिशा के मुताबिक ही तरमीम की गई है। शेष रहे नवीन खसरा संख्या 499/208 रकबा 1.1920 है0 विक्रेता कानसिंह आत्मज सज्जन सिंह जाति राजपूत सा. गुढानाथावतान दर्ज रिकार्ड रहा। प्रार्थीगणो द्वारा दो रजि० विक्रयपत्र करवाये गये थे। जिसमें से प्रथम रजि० विक्रयपत्र का विवरण बिन्दु संख्या 1 में अंकित है। दूसरा विक्रय पत्र क्रमांक 202103167101724 दिनांक 13.07.2021 से कुल रकबा में से 0.7690 हैक्ट भूमि रसपाल सिंह आत्मज मक्खन सिंह सा0 मांगली को विक्रय किया गया। जिसका नामां० 617 दिनांक 01.12.2021 से क्रेता के नाम खाता संख्या 155 नवीन खसरा संख्या 500/499 दर्ज रिकार्ड हुआ है। शेष रहे नवीन खसरा संख्या 501/499 रकबा 0.4230 विक्रेता कानसिंह आत्मज सज्जन सिंह जाति राजपूत सा. गुढानाथावतान दर्ज रिकार्ड रहा है। वर्तमान में खातेदार करमजीत कौर पत्नि रसपाल सिंह जाति जट सिख सा. मांगली व रसपाल सिंह आत्मज मक्खन सिंह सा. मांगली ने उक्त भूमि का बेचान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि खाता संख्या 154 खसरा संख्या 498/208 व खाता संख्या 155 खसरा संख्या 500/499 भूमि सुमन बाई पत्नि फोरूलाल प्रजापत (कुम्हार) सा. जावरा

रायथल के दर्ज है। पटवार स्तर द्वारा मुताबिक रजि० विकय पत्र के अनुसार ही नामां० दर्ज कर तरमीम की गई है।

बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दौराने वहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और व्यक्त किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम शाहपुरा का राजस्व रेकार्ड में पुराने नक्शें के अनुसार तरमीम कर इन्द्राज किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड के नक्शें को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जावें एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के पक्ष में सुलभ हो प्रार्थीगण को दिलवाई जावें।

बहस समाहत करने के पश्चात् हमारे द्वारा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी उक्त भूमियों का राजस्व नक्शा लठ्ठा में अंकन रजिस्टर्ड विक्रय–पत्रों के आधार पर ही किया जाना अवगत कराया हैं। मुताबिक वर्तमान जमाबंदी एवं रिपोर्ट तहसीलदार, बून्दी आराजी खसरा संख्या 498/208 रकवा 0.7690 है0 एवं खसरा संख्या 500/499 रकबा 0.7690 है0 को प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा अन्य व्यक्ति क्रेता सुमन बाई पत्नी फौरू लाल प्रजापत हिस्सा पूर्ण जाति प्रजापत (कुम्हार) निवासी जावरा तहसील रायथल जिला बून्दी राजस्थान को बेचान कर दिया हैं, फलस्वरूप उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 703 दिनांक 26.06.2024 से क्रेता सुमन वाई के खातेदारी अधिकार में दर्ज रेकार्ड हो चुकी हैं। इसकी जानकारी प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी किसी भी स्तर पर नहीं दी हैं। चूंकि आराजी खसरा संख्या 498/208 एवं खसरा संख्या 500/499 के वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त क्रेता सुमन बाई खातेदार काश्तकार दर्ज होने से विधिक हितधारक हैं व प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार हैं, विना क्रेता सुमन बाई की सुनवाई के उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। उपरोक्त दादरसी के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी